मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर–1 चतुर्थ तल सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार लखनऊ।

संख्या–18एएसआई–लिपिक–(शील्डकवर)271–2020 दिनांकः 02/08/2023

आदेश

"उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन वर्ष–2020–21 की रिक्ति के सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही के दौरान पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई के विरूद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0–115/2011 धारा 406/420/170 भा0द0वि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन वर्ष 2020–21 की सुरक्षित रिक्ति के सापेक्ष संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी।

2– पुलिस अधीक्षक, जनपद हरदोई के पत्र संख्या–च–07/2023 दिनांक 07–06–2023 एवं 24–06–2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई के विरूद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0–115/2011 धारा 406/420/170 भा0द0वि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) लखनऊ में विचाराधीन अपराधिक वाद/केस संख्या – 39550/ 2023 सम्बन्धित मु0अ0सं0 115/2011 धारा 406/420/170 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ की समस्त कार्यवाही समझौते के आधार पर मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित धारा 482 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्याः 5604/2023 अम्बरीश कुमार मिश्रा बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 31.05.2023 द्वारा क्वैश करते हुये निस्तारित किया गया है, जिसके क्रम में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) लखनऊ के आदेश दिनांक 05.06.2023 के द्वारा समस्त कार्यवाही समाप्त (क्वैश) की गयी है। पुलिस अधीक्षक हरदोई से प्राप्त आख्यानुसार मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई शासकीय अपील योजित नही की गयी है।

3– पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई के विरूद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2011 धारा 406/420/170 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित धारा 482 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्याः 5604/2023 अम्बरीश कुमार मिश्रा बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 31.05.2023 द्वारा क्वैश करते हुये निस्तारित किया गया है, जिसके क्रम में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) लखनऊ के आदेश दिनांक 05.06.2023 के द्वारा समस्त कार्यवाही समाप्त (क्वैश) की गयी है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई शासकीय अपील योजित नही की गयी है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील योजित न होने के फलस्वरूप पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई के प्रकरण में दिनांक 26–07–2023 को समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें समिति द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में रखे गये चयन परिणाम को खोला गया। मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुति का विवरण निम्नवत् हैः–

(1) चयन वर्ष-2020 की रिक्ति के सापेक्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखे गये चयन परिणाम को खोलने पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई के सेवाभिलेखों में चयन वर्ष के विगत 10 वर्षो में 03 या 03 से अधिक लघु/दीर्घ दण्ड अंकित होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त मूल्यांकित किया गया है।

(2) चयन वर्ष 2021 की रिक्ति के सापेक्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखे गये चयन परिणाम को खोलने पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई के सेवाभिलेखों में चयन वर्ष के विगत 10 वर्षो में 03 या 03 से अधिक लघु दण्ड अंकित होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त मूल्यांकित किया गया है।

(3) चयन वर्ष 2022 की रिक्ति के सापेक्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखे गये चयन परिणाम को खोलने पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई को उपयुक्त मूल्यांकित किया गया है तथा इस शर्त के साथ पदोन्नति की संस्तुति की गयी है कि जब मु0अ0सं0 115/2011 धारा 406/420/ 170 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ में निर्दोष पाया जाय।

4- कमेटी द्वारा पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयन वर्ष 2022 की सुरक्षित रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 29-07-2023 को अनुमोदित कर दिया गया है।

5- अतएव पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) पीएनओ 972462976 अम्बरीश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा, नियुक्ति जनपद हरदोई को उनके कनिष्ठ कर्मी की प्रोन्नति की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) पद पर स्थानीय पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क0 सं0	पीएनओ नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयनवर्ष
1	972462976	अम्बरीश कुमार मिश्रा	स्व0 कीर्ति कुमार मिश्रा	जनपद हरदोई	2022

6- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगे। पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगे, जिसे सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आगे बढाया जा सकता है। पदोन्नति पाये उक्त कर्मी की वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगे।

7- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में वर्णित निम्नलिखित परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) के विरूद्व विद्यमान न हो:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्वित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

8– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में प्रस्तर–7 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित कर्मी को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में प्रस्तर–7 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है, तो पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

9. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया जाता है तो उसकी पदोन्नति निरस्त कर उसे मूल पद पर पदावनत करते हुये उसके विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः प्रारूप(क)

(सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ।
3– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
4– पुलिस अधीक्षक, हरदोई।

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————————————पुत्र

——————————निवासी————————————थाना——————————जनपद——————————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)————————————————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————————धारा——————————————थाना——————————

जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।